Allotment of Steel Products by Private Dealers

648. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been laid down by Government for the allotment of Steel Products to the private dealers by the three main steel producing units viz. TISCO/ ISCO/HSL;

(b) if so, what;

(c) whether Government are aware of malpractice in the allotment of steel by these three steel producing units; and

(d) if so, the action Government propose to take in the mater?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). There is at present no statutory control on the distribution of steel and Government have not laid down any guidelines for the allotment of steel to private dealers.

(c) and (d). Complaints received from time to time on distribution of steel materials by the main producers are investigated and appropriate action taken wherever found necessary.

केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के ड्रेसरों द्वारा किया गया काम

649. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में काम करने वाले ड्रेसरों को कम से कम एक सौ दवाइयां तैयार करनी पड़ती हैं; छोटे सर्जिकल आपरेशन करने पड़ते हैं और टांके लगाने पड़ते हैं ; और स्टाफ नर्सों की अनुपस्थिति में इन्जेक्शन भी लगाने पड़ते हैं ;

(ख) क्या फार्मेसिस्ट केवल चार घोल तैयार करता है और रोगियों को नियमित कम्पनियों की पेटेंट दवाइयां देता है ; और

(ग) यदि हां, तो ड्रेसरों को फार्मेस्सिटों वाला वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्ट आम बीमारियों के लिए लगभग छ: प्रकार के मिक्सचर बनाते हैं। वे चिकित्सा अधिकारियों के नुस्खे के अनुसार रोगियों को सामान्य तथा विशिष्ट दवाइयां देते हैं ।

(ग) भिन्न-भिन्न पदों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों तथा उनकी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं/अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन पदों के वेतनमान तृतीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं। फार्मेसिस्ट के पद की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं मैट्रिकुलेशन तथा फार्मेसी में डिप्लोमा निर्धारित की गई है और इसके साथ-साथ उम्मीदवार फार्मेसी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए जबकि ड्रेसर के पद के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं वे हैं मिडिल स्तर तक की शिक्षा तथा प्राथमिक उपचार परीक्षा । फार्मेसिस्ट के पद की जिम्मेदारियां भी ड्रेसर के पद की जिम्मेदारियों के मुकाबले में कठिन हैं। इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के पदों के वेतनमानों में समता नहीं हो सकती ।